भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 976
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शीतागार

976. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सी. एन.अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान फलों और सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए स्थापित किए गए सामान्य शीतागारों और बहुउद्देश्यीय शीतागारों की तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शीतागार की वर्तमान क्षमता देश में कृषि उपज को संसाधित करने के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्षमता संबंधी उपयोग सहित तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश शीतागार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों जहां अधिक शीतागारों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है की बजाए, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा शीतागारों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): एनएचबी (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) और एमआईडीएच (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) के अंतर्गत स्वीकृत शीतागारों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) द्वारा अखिल भारतीय शीत श्रृंखला अवसंरचना क्षमता (स्थिति एवं अंतर का आकलन) -2015 पर एनएबीसीओएनएस द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि 32 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की मौजूदा क्षमता के मुकाबले 35 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) शीत भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में मुख्य रूप से उनकी प्रसंस्करण क्षमताओं के अनुरूप भंडारण क्षमता है।

(घ) और (ङ): चूंकि शीतागार सुविधाओं की स्थापना में सहायता के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें मांग आधारित हैं, इसलिए व्यक्तिगत/उद्यमी निर्देशांकों के आधार पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं।

(च): सरकार स्वयं शीतागार स्थापित नहीं करती है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत शीतागारों की स्थापना सहित फसलोपरान्त प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संबद्ध भंडारण सुविधाओं के साथ खाद्य प्रसंस्करण परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है।

*****

अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शीतागार के बारे में दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 976 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

शीतागारों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	संख्या	क्षमता (एमटी)	संख्या	क्षमता (एमटी)	संख्या	क्षमता (एमटी)	संख्या	क्षमता (एमटी)
आंध्र प्रदेश	5	57164	-	-	11	55000	2	18789
असम	1	10000	1	9000	-	-	1	5500
गुजरात	12	33964	1	3452	8	37816	**9**	18882
हरियाणा	**-**	-	-	-	2	16063.7	4	6741
हिमाचल प्रदेश	**-**	-	1	6368	-	-	**3**	1231
जम्मू और कश्मीर	5	24981	7	32163	7	33574	4	19000
झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	5974.67
कर्नाटक	**6**	50488	-	-	1	7300	4	21320
मध्य प्रदेश	1	5653	-	-	1	10000	1	126.99
महाराष्ट्र	-	-	1	5600	4	22133	2	9504
पंजाब	5	28945	6	31632	14	60414	2	4925
राजस्थान	**1**	5800	4	28405	-	-	1	4654.88
तमिलनाडु	3	23260	-	-	1	5386	-	-
तेलंगाना	**5**	47320	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	**7**	59325	17	97424	1	100	15	85871.9